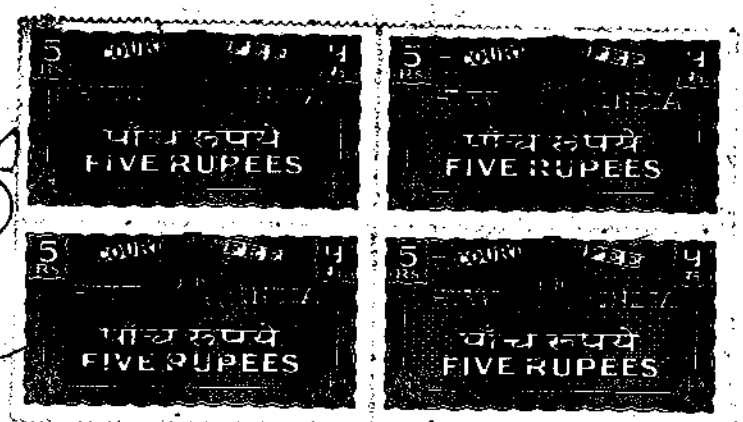

पाँच रुपये FIVE RUPEES

पाँच रुपये FIVE RUPEES

पाँच रुपये FIVE RUPEES

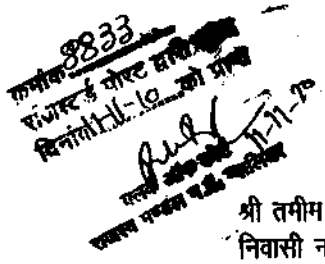

पाँच रुपये FIVE RUPEES

R-1585-PBR/2010

न्यायालय श्रीमान् मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी महोदय,
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियार

श्री तमीम पिता श्री सैफुद्दिनजी बोहरा, आयु 38 वर्ष,
निवासी नाला रोड़ सैलाना जिला रतलाम —————— प्रार्थी

विरूद्ध

1.म.प्र.शासन द्वारा उप पंजीयक, रतलाम
2.म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प एवं जिला पंजीयक रतलाम
3.श्री नजमुद्दिन पिता श्री तयबअलीजी बोहरा
निवासी बोहरा बाखल सैलाना जिला रतलाम —————— प्रतिप्रार्थी

--निगरानी अन्तर्गत धारा 56 भारतीय स्टॉम्प अधिनियम--
--निगरानी बनाराजगी आदेश दिनांक 12.03.2010 जो प्रकरण कमांक 11/बी--103/धारा 33/
--2009--2010 में न्यायालय श्रीमान् जिला पंजीयक एवं कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प महोदय, रतलाम
--द्वारा पारित किया हैं, से असंतुष्ट होकर--

मान्यवर महोदय,

प्रार्थी यह निगरानी आवेदन पत्र न्यायालय श्रीमान् जिला पंजीयक एवं कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प महोदय रतलाम द्वारा प्रकरण कमांक 11/बी–103/धारा 33/2009–2010 में दिनांक 12.03.2010 को जो आदेश अर्थदण्ड जमा कराने के संबंध में पारित किया हैं, उससे असंतुष्ट होकर अन्य आधारो के अतिरिक्त निम्न आधारो पर यह निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत करता हैं –

प्रकरण का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने रजिस्टर्ड दस्तावेज कमांक 3370, दिनांक 07.03.2009 द्वारा दिलीप मार्ग सैलाना जिला रतलाम स्थित मकान रूप्ये 7,05,000/– में कय किया था, जो दस्तावेज उप पंजीयक द्वारा पंजीयन कर प्राथी को लौटाया गया था परन्तु भूलवश प्रार्थी द्वारा उक्त दस्तावेज में नगर पंचायत की ड्युटी अदा करना रह गयी हैं, जिसे उप पंजीयक द्वारा भी नही देखा गया और दस्तावेज पंजीयन कर लौटा दिया गया, प्रार्थी को उक्त स्थिति तब ज्ञात हुई जब प्रार्थी नगर पंचायत में अपना नामांतरण कराने गया और जैसे ही प्रार्थी को उक्त स्थित ज्ञात हुई व प्रार्थी को माननीय अधिनस्थ न्यायालय का सूचना पत्र प्राप्त हुवा तुरन्त ही प्रार्थी ने सद्भावनापूर्वक उक्त नगर पंचायत ड्युटी अदा करने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया, इससे ही स्पष्ट था कि प्रार्थी सद्भावनापूर्वक स्टॉम्प ड्युटी अदा करने हेतु तत्पर था, परन्तु माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कमी मुद्रांक शुल्क व अर्थ दण्ड जमा कराने का आदेश पारित कर दिया, इससे असंतुष्ट होकर यह निगरानी आवेदन पत्र अन्य आधारो के अतिरिक्त निम्न आधारो पर प्रस्तुत हैं–

(159)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

(112)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1585-पीबीआर/2010

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-08-2019	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया। आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 21-12-2017 से लगातार अनुपस्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है । अत: यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । **(महेश चंद्र चौधरी)** **सदस्य**	